



प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA
कार्यालय आदेश-स.- उपमहालेखाकार(लेखा एवं कार्य) सचिवालय-(21-22)- 39

दिनांक 09-12-2021

कार्यालय आदेश

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है की प्रमंडलीय लेखाकार संवर्ग के कर्मी अपने प्रमंडल के कार्य/ अपने सेवा से संबंधित व्यक्तिगत कार्य हेतु सीधे तौर पर कार्य अनुभाग में चले जाते हैं। जिससे की आवंटित अति महत्वपूर्ण कार्य के निर्धारित समय-सीमा एवं अति गोपनीय कार्य का गोपनीयता बाधित होने की संभावना बनी रहती है। जिसे सक्षम पदाधिकारी के द्वारा गंभीरता से लिया गया है। अतः आदेशानुसार प्रमंडलीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है की महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में अपने प्रमंडल के कार्य/ अपने सेवा से संबंधित व्यक्तिगत कार्य हेतु प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) सचिवालय एवं उपमहालेखाकार(लेखा एवं कार्य) सचिवालय के माध्यम से प्राप्त मिलने के अनुमति के उपरांत ही प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) महोदय एवं उपमहालेखाकार(लेखा एवं कार्य) से मिल सकेंगे। पुनः उक्त सचिवालयों से प्राप्त अनुमति पर्ची के बाद ही अपने प्रमंडल के कार्य/ अपने सेवा से संबंधित व्यक्तिगत कार्य हेतु संबंधित कार्य अनुभागों में सम्पर्क करेंगे।

dmw/05/12/21
उपमहालेखाकार(लेखा एवं कार्य)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का सचिवालय।
2. वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन एवं जी०ई०) का सचिवालय।
3. वरीय लेखा अधिकारी (कार्य अनुभाग-1,2,3,4,5,6)

उपमहालेखाकार(लेखा एवं कार्य)